जिला परिषद का कार्यकरण

स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय, रूपनगढ़

बी.ए. सेमेस्टर 5th | फैकल्टी: सुश्री फराह

Made with GAMMA

जिला परिषद: एक परिचय

अर्थ

जिला परिषद भारत के पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी स्तरीय संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है।

स्थानीय स्वशासन

यह स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी है।

विकास का केंद्र

जिला परिषद सम्पूर्ण जिले के समन्वित विकास की योजना बनाती और कार्यान्वित करती है।

Made with GAMMA

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पंचायती राज व्यवस्था का विकास

भारत में स्थानीय स्वशासन की परम्परा प्राचीन काल से रही है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की नींव 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर रखी गई।

संवैधानिक प्रावधान

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने जिला परिषद को संवैधानिक स्थिति प्रदान की और तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की।

Made with GAMMA

जिला परिषद की संरचना

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में चुने जाते हैं। ये संस्था के प्रमुख नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं।

निर्वाचित सदस्य

जिला परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा मतदान के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। ये प्रत्येक वार्ड या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पदेन सदस्य

सांसद और विधायक स्वतः जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ये स्थानीय प्रशासन में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

Made with GAMMA

मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

विकास कार्य

सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएँ, सार्वजनिक भवनों का निर्माण और जिले के भौतिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

योजनाओं का क्रियान्वयन

राज्य और केन्द्र सरकार की विकास योजनाओं को जिला स्तर पर लागू करना और उनकी प्रगति की निगरानी करना।

ग्रामीण विकास

ग्राम पंचायतों के समन्वित विकास के लिए नीतियाँ बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करना।

Made with GAMMA

शक्तियाँ एवं अधिकार

प्रशासनिक शक्तियाँ

- स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं का समन्वय
- नियुक्ति और स्थानांतरण की स्वीकृति
- निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा की शक्ति

वित्तीय शक्तियाँ

- कर लगाने का अधिकार
- बजट तैयार करना और स्वीकृत करना
- ऋण लेने की स्वीकृति

विकासात्मक अधिकार

- विकास योजनाओं को स्वीकृति
- कार्यों का क्रियान्वयन
- परियोजनाओं की निगरानी

Made with GAMMA

समितियाँ एवं संस्थाएँ

01

स्थायी समितियाँ

वित्त, योजना, सामाजिक न्याय समितियाँ निरंतर कार्य करती हैं।

02

विशेष समितियाँ

किसी विशेष कार्य के लिए समय-समय पर गठित की जाती हैं।

03

कार्यपालिका समिति

दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए स्थापित की जाती है।

ये समितियाँ विशेषज्ञता और कुशल समन्वय सुनिश्चित करती हैं।

Made with GAMMA

वित्तीय स्रोत

स्थानीय कर

संपत्ति कर, मनोरंजन कर, पेशे कर और अन्य स्थानीय करों के माध्यम से आय।

राज्य सरकार अनुदान

राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले वित्तीय अनुदान।

केन्द्र सरकार सहायता

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त सहायता और अनुदान।

Made with GAMMA

महत्व एवं भूमिका

ग्रामीण विकास का केंद्र

जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करके समाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

लोकतंत्र को मजबूती

जनता की सीधी भागीदारी से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रशासनिक दक्षता

स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है।

Made with GAMMA

निष्कर्ष

समग्र विकास

जिला परिषद जिले के समग्र विकास की आधारशिला है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान देती है।

सशक्तीकरण

यह स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने विकास के निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

पंचायती राज की आधारशिला

पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो शीर्ष स्तर की नीतियों को स्थानीय स्तर पर संचालित करती है।

Made with GAMMA